2023 का विधेयक संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड:

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
- 2. परिभाषाएं ।

अध्याय-2

जल-विद्युत उत्पादन इकाई के प्रतिष्ठापन द्वारा जल का उपयोग

- 3. जल के उपयोग हेतु योजना का प्रतिष्ठापन ।
- 4. उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का प्रस्तुतीकरण ।
- 5. आवेदन की स्वीकृति ।
- 6. उपयोगकर्ता को सूचना ।
- 7. जल के उपयोग हेतु रजिस्ट्रीकरण ।
- 8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना ।
- 9. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा निषिद्ध कतिपय बातें ।
- 10. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्तव्य, बाध्यताएं और उत्तरदायित्व ।
- 11. नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थाएं ।

अध्याय-3

उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण

- 12. उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण ।
- 13. प्रवाह मापन उपकरण या किसी फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना ।
- 14. प्रवाह मापन उपकरणों में कपट ।

अध्याय-4

जल उपकर

- 15. जल उपकर का नियतन ।
- 16. जल उपकर की वसूली ।
- 17. निर्धारण हेतु प्रक्रिया ।

अध्याय-5

राज्य आयोग

- 18. आयोग की स्थापना ।
- 19. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अईताएं ।
- 20. खोज समिति का गढन ।
- 21. पद की अवधि और सेवा की शर्ते ।
- 22. अध्यक्ष या सदस्य का हटाया जाना ।
- 23. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

अध्याय-6

आयोग की शक्तियां, कृत्य और लेखे

- 24. आयोग के कृत्य ।
- 25. आयोग की शक्तियाँ ।
- 26. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां ।
- 27. प्रवेश और जब्त करने की शक्ति ।
- 28. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
- 29. आयोग के निर्देशों के अननुपालन के लिए शास्ति।
- 30. न्याय निर्णयन की शक्ति ।
- 31. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक ।
- 32. अन्य दायित्वों पर शास्ति प्रभावहीन ।
- 33. सरकार द्वारा अनुदान और ऋण ।
- 34. सरकार द्वारा निधि की स्थापना ।
- 35. आयोग के लेखे ।
- 36. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट ।
- 37. आयोग का बजट ।

अध्याय-7

प्रकीर्ण

- 38. सरकार द्वारा निर्देश ।
- 39. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
- 40. सदस्य, अधिकारी इत्यादि का लोक सेवक होना ।
- 41. अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण में होना ।
- 42. नियम बनाने की शक्ति ।
- 43. आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां ।
- 44. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
- 45. अध्यारोही प्रभाव।
- 46. निरसन और व्यावृत्ति।

2023 का हिमाचल प्रदेश विधेयक संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर उदगृहीत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- 5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल—विद्युत संक्षिप्त नाम उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम, 2023 है।
 - (2) यह दस मार्च, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

10

- 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "आयोग" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन जल—विद्युत उत्पादन पर जल उपकर हेतु स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग अभिप्रेत है;
 - (ख) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
 - (ग) "जल-विद्युत" से, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत अभिप्रेत है जो राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी जल स्रोत से निकाले गए जल के उपयोग से विद्युत उत्पादन करते हैं;

- (घ) "अधिसूचना" से राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और पद "अधिसूचित करना" तद्नुसार अर्थान्वित किया जाएगा;
- (ड.) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (च) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (छ) "उपयोगकर्ता" से जल-विद्युत के उत्पादन के लिए किसी स्रोत से जल निकालने वाला कोई व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग, कम्पनी, निगम, सोसाइटी या कोई निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;
- (ज) "जल" से किसी नदी, जलधारा, सहायक नदी, नहर, नाले, में बहने वाला प्राकृतिक संसाधन या कोई अन्य प्राकृतिक जल मार्ग या किसी भूमि की सतह पर बना जैसे तालाब, झील, दलदल या झरना अभिप्रेत है;
- (झ) "जल उपकर" से विद्युत उत्पादन के लिए निकाले गए जल 15 हेतु इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित या प्रभारित दर अभिप्रेत है; और
- (ञ) "जल स्त्रोत" से कोई नदी और इसकी सहायक नदियां, जलधारा, नाला, नहर, नदी, तालाब, झील, जलस्रोत या कोई अन्य स्रोत अभिप्रेत है, जिनसे जल–विद्युत उत्पादन हेतु जल निकाला जाता है।

अध्याय—2 जल—विद्युत उत्पादन इकाई के प्रतिष्ठापन द्वारा जल का उपयोग

जल के 3. (1) कोई उपयोगकर्ता इस अधिनियम के अनुसार के सिवाय, उपयोग हेतु जल—विद्युत उत्पादन हेतु किसी स्रोत से जल नहीं निकालेगा। प्रतिष्ठापन।

5

10

20

(2) कोई उपयोगकर्ता इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकृत होने के सिवाय, जल-विद्युत उत्पादन हेतु किसी अन्य जल स्रोत के जल के उपयोग (गैर-क्षयकारी उपयोग) के लिए अपेक्षित योजना प्रतिष्टापित नहीं करेगा।

5

4. कोई उपयोगकर्ता, जो जल-विद्युत के उत्पादन के प्रयोजन हेतू उपयोगकर्ता जल के उपयोग (गैर-क्षयकारी उपयोग) की आवश्यकता के लिए योजना द्वारा जल के उपयोग हेतु प्रतिष्ठापित करना चाहता है, वह, यथास्थिति, निदेशक, ऊर्जा या केन्द्रीय विद्युत स्वीकृत प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से स्वीकृत योजना की ^{योजना का} विस्तृत परियोजना रिपार्ट अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेत आवेदन फीस सहित ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए प्रस्तुत करेगा।

10

किसी उपयोगकर्ता से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात आयोग इस आवेदन की अधिनियम के अधीन आवेदन को स्वीकार किए जाने के लिए विचार करेगा।

15

- धारा 5 के अधीन आयोग द्वारा योजना स्वीकार कर लेने के पश्चात् उपयोगकर्ता आयोग योजना को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उपयोगकर्ता को सूचित करेगा कि को सूचना। वह-
 - (क) ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, आयोग के साथ करार निष्पादित करे; और
 - (ख) जल उपकर का संदाय करे, जैसा इस अधिनियम के अध्याय-4 के अधीन नियत किया जाए।

20

- 7. कोई व्यक्ति जल का अपेक्षित उपयोग या जल का किसी अन्य रीति जल के से उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 8 के अधीन जारी उपयोग हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न हो।
- जल-विद्युत उत्पादन हेतु जल के उपयोग (गैर-क्षयकारी उपयोग) रिजस्ट्रीकरण के इच्छुक उपयोगकर्ता को इस अधिनियम के अधीन उपयोगकर्ता और आयोग के प्रमाण पत्र मध्य करार निष्पादित किए जाने के पश्चात् एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा निषिद्ध कतिपय बातें।

कोई भी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना-

> (क) किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता को क्रय, या अधिगृहीत करने या अन्यथा द्वारा अर्जित करने के लिए कोई संव्यवहार नहीं करेगाः या

> (ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता के साथ विलयन नहीं करेगा: या

> (ग) विक्रय, पट्टे, विनिमय या अन्यथा द्वारा उसकी रजिस्ट्रीकरण या उसकी उपयोगिता को या इसके किसी भाग को समनुदेशित या अंतरित नहीं करेगा।

10

5

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व।

- 10. (1) रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जल-विद्युत उत्पादन के लिए निकाले गए जल के लिए जल उपकर संदाय करने बाध्यताएं और का दायी होगा।
 - (2) जहां अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व जल-विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किसी उपयोगकर्ता ने जल-विद्युत योजना का निर्माण किया है वहां ऐसा उपयोगकर्ता, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से एक मास के भीतर, रजिस्ट्रीकरण हेत् आवेदन करेगा तथा आयोग, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आदेश पारित करेगा।
 - (3) यदि उपधारा (2) में यथा उल्लिखित उपयोगकर्ता, इसमें नियत समय में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने में असफल रहता है, तो आयोग तत्काल बिना रजिस्ट्रीकरण के इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए जल उपयोग के आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त शास्ति जो दस लाख रूपए तक हो सकेगी तथा निरंतर चूक की दशा में अतिरिक्त जुर्माना, जो पांच हजार रूपए प्रतिदिन तक हो सकेगा सहित जल उपकर अधिरोपित करेगा।

15

20

- (4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, योजना के प्रचालन के अधीन क्षेत्र के निवासियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दायित्व के अधीन होगा।
- (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता किसी भी समय योजना क्षेत्र के भीतर प्रवेश हेतु आयोग या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को उनके समाधान हेतु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन में अनुमति देने के लिए आबद्धकर होगा।

10

15

11. आयोग, उपयोगकर्ता को लिखित में नोटिस देकर अपेक्षा कर नियंत्रण और सकेगा कि वह आयोग के समाधान हेतु और प्रक्रिया के अनुसार तथा ऐसे सुरक्षा अन्तराल पर, जैसे आयोग द्वारा योजना हेतु विनिर्दिष्ट करे किसी विशेषज्ञ द्वारा आविधक निरीक्षण करवाये।

अध्याय—3 उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल का निर्धारण

- 12. (1) आयोग द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों के अनुसार, आयोग योजना उपयोगकर्ता के परिसर के भीतर या ऐसे अन्य स्थान पर जहां आयोग उचित समझे जल—विद्युत उत्पादन हेतु निकाले गए जल के मापन के प्रयोजनों से प्रवाह मापन निर्धारण। उपकरण प्रतिष्ठापित करेगा या कराएगा या उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए जल के निर्धारण हेतु कोई अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकेगा।
 - (2) ऐसे प्रतिष्ठापन पर उपगत व्यय उपयोगकर्ता द्वारा संदेय होगा।
- 20 13. कोई भी व्यक्ति किसी जल मापन उपकरण या उपकरण की किसी प्रवाह मापन जिटेंग को जानबूझकर क्षतिग्रस्त नहीं करेगा या कराएगा। उपयोगकर्ता तत्काल किसी फिटिंग को जानबूझकर क्षतिग्रस्त नहीं करेगा या कराएगा। उपयोगकर्ता तत्काल किसी फिटिंग क्षतिग्रस्त उपकरण को अपने खर्चे पर बदलने के लिए उतरदायी होगा, ऐसा न को क्षतिग्रस्त होने पर ऐसे उपयोगकर्ता पर पचास हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की करना। जाएगी।

- 14. कोई भी व्यक्ति कपटपूर्वक या बेईमानी से-
 - (क) प्रवाह मापन उपकरण के सूचकांक में परिवर्तन नहीं करेगा या आपूर्ति किए गए जल की वास्तविक मात्रा को रिकार्ड करने से नहीं रोकेगा; या
 - (ख) रिकार्ड करने के प्रयोजन से लगाए गए मापन उपकरण द्वारा रिकार्ड किए जाने से पहले जल नहीं निकालेगा; या

10

15

- (ग) मापन उपकरण से छेड़छाड़ नहीं करेगा, छेड़छाड़ किए गए उपकरण को प्रतिष्टापित या उसका उपयोग नहीं करेगा; या
- (घ) किसी ऐसे अन्य उपकरण या पद्धित का उपयोग नहीं करेगा जो आपूर्ति किए गए जल के सही या उचित रजिस्ट्रीकरण, अंशशोधन या मीटरिंग में व्यवधान डालता हो।

अध्याय —4 जल उपकर

- जल उपकर का 15. (1) उपयोगकर्ता ऐसी दर से, जैसी सरकार इस निमित्त अधिसूचना नियत । द्वारा नियत करे, जल उपकर का संदाय किए जाने हेतु दायी होगा।
 - (2) इस धारा के अधीन नियत जल उपकर की दरें राज्य सरकार समय-समय पर ऐसी रीति में पुनरीक्षित, परिवर्धित, कम या अन्तरित कर सकेगी, जैसी यह उचित समझे।
- जल उपकर की 16. आयोग, जल—विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता द्वारा जब कभी वस्ती। जल निकाला जाएगा तब प्रत्येक उपयोगकर्ता से राज्य सरकार द्वारा नियत दरों 20 के अनुसार जल उपकर वसूल करेगा।
- निर्धारण हेतु **17**. (1) जल-विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गए प्रक्रिया। जल का निर्धारण और उसके जल उपकर की संगणना आयोग द्वारा की जाएगी।

- (2) उपयोगकर्ता आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन यथा निर्धारित जल उपकर का संदाय करेगा।
- (3) यदि कोई उपयोगकर्ता, उस पर देय जल उपकर का संदाय नहीं कर पाता है तो उस पर आयोग द्वारा यथा अवधारित शास्ति अधिरोपित की जाएगी। उपयोगकर्ता को जल उपकर का विस्तारित अवधि के भीतर शास्ति सहित जल उपकर संदाय करना होगा, जैसा विहित किया जाए।

10

15

20

अध्याय–5 राज्य आयोग

18. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का आयोग की प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जल—विद्युत उत्पादन पर जल उपकर स्थापना। हेतु राज्य आयोग के नाम से ज्ञात आयोग की स्थापना कर सकेगी:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन आयोग की स्थापना होने तक सचिव (जल-शक्ति), हिमाचल प्रदेश, सरकार आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, इसके पास चल और अचल संपत्ति दोनों के प्राप्त करने, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरूद्ध बाद लाया जा सकेगा।
 - (3) आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा।
 - (4) आयोग में एक अध्यक्ष और चार से अनधिक सदस्य होंगे।
 - (5) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 20 की उपधारा (1) में संदर्भित खोज समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अईताएं।

- 19. (1) अध्यक्ष की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जो या तो राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अन्यून का पद धारण कर रहे हो या जिन्होंने धारण किया हो ।
- (2) आयोग के सदस्य, योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, विधि या प्रबन्धन के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष या इससे अधिक सुसंगत अनुभव है:

परन्तु यह कि इन व्यक्तियों में से कम से कम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता या उसके समतुल्य की पंक्ति से अन्यून पद धारण कर रहा हो या जिन्होंने धारण किया हो और जल—विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव रखता हो, नियुक्त किया जाएगा;

- (3) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे।
 - (4) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
- (5) आयोग के पास उसके अधीन सहायता हेतु समुचित संरचना होगी, जैसी सरकार द्वारा विहित की जाए।

खोज समिति **20.** (1) सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के प्रयोजनों के गठन। के लिए, एक खोज समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

(क) मुख्य सचिव — अध्यक्ष;

(ख) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार — सदस्य;

(ग) सचिव (बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा), 20 हिमाचल प्रदेश सरकार — सदस्य;

(घ) सचिव (जल शक्ति), हिमाचल प्रदेश सरकार — सदस्य; और

(ङ) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार — सदस्य;

10

5

- (2) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग-पत्र या हटाए जाने के कारण रिक्ति होने की तारीख से एक माह के भीतर तथा अध्यक्ष या किसी सदस्य की अधिवर्षिता या कार्यकाल समाप्त होने से छः मास पूर्व रिक्ति भरने के लिए खोज समिति को संदर्भित करेगी।
- (3) खोज समिति, उस तारीख जिस को इसे संदर्भित किया गया है से दो मास के भीतर अध्यक्ष या सदस्यों के चयन को अन्तिम रूप देगी।

10

15

25

- (4) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व खोज समिति अपना समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उस के कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
- 21. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ^{पद की} अविध तीन वर्ष की अविध हेतु पद धारण करेंगे: शर्ते।

परन्तु यह कि अध्यक्ष या कोई सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होगी, जैसी विहित की जाएः

परन्तु यह कि अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें उन की नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे।

- 20 (3) अध्यक्ष और सदस्य अपना पद धारण करने से पूर्व ऐसे प्ररूप पर तथा ऐसी रीति में, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जैसी विहित की जाए।
 - (4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार को कम से कम तीन मास का नोटिस लिखित में देकर अपना पद त्याग सकेंगे।

- (5) इस पद पर न बने रहने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य-
 - (क) उस पद को धारण करने से वंचित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक सरकार के अधीन किसी और नियुक्ति के लिए प्रात्र नहीं होगाः और
 - (ख) जल–विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित परियोजना या योजना इत्यादि में कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

10

20

25

अध्यक्ष या **22.** (1) अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर इस प्रकार नहीं बना रहेगा, ^{सदस्य का} यदि वहः _{हटाया} जाना।

- (क) सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया गया हो; या
- (ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्धदोष हो; या
- (ग) इस रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो: या
- (घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिए हों जो कि आयोग में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हों।
- (2) जहां यह प्रश्न उठता हो कि यदि अध्यक्ष या सदस्य इस प्रकार कृत्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गये हो या उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित, जो आयोग में उसके कृत्य पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डाल सकेगा, तो इस विषय में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसका आदेश अन्तिम होगा।
- (3) यदि सरकार की राय में अध्यक्ष या किसी सदस्य को निलम्बित करने के उचित और पर्याप्त कारण हैं और उसके हटाए जाने हेतु कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई हैं तो सरकार आयोग के अध्यक्ष और किसी सदस्य को निलम्बित कर सकेगी:

परन्तु ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध ऐसा आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है, को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

- 23. (1) आयोग का एक सचिव होगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन आयोग के ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निवर्हन करेगा जैसे विहित अन्य कर्मचारी।
 - (2) सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
- (3) अपने कृत्यों के निवर्हन में आयोग को सहायता करने के लिए आवश्यक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, स्वरूप और श्रेणियां ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।
- (4) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।
- (5) आयोग अपने कृत्यों के निवर्हन में सहायता करने के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों जैसे विहित किए जाए पर उपयोगकर्ताओं द्वारा निकाले गए जल के निर्धारण और अन्य तकनीकी क्रियाकलापों के लिए अभियंता और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारिवृन्द लगा सकेगा।

अध्याय—6 आयोग की शक्तियां, कृत्य और लेखे

24. आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात:--

आयोग के कृत्य।

20

25

15

5

- (क) अधिनियम के अधीन जारी निर्णयों और आदेशों का प्रवर्तन करना;
- (ख) जल उपकर से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करना;
- (ग) शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना;
- (घ) जल-विद्युत उत्पादन हेतु निकाले गए जल के प्रवंतन, मॉनिटरी और मापन हेतु प्रणाली की स्थापना करना; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं।

आयोग की शक्तियां।

- 25. (1) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या कोई कार्यवाही आरम्भ करने के प्रयोजन हेतु आयोग के पास वे ही शक्तियां होगी जो कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल 1908 का 5 न्यायालय में निहित है, अर्थात्:—
 - (क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
 - (ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य तात्विक वस्तु का प्रकटीकरण और प्रस्तुतिकरण;
 - (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

10

- (घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षाः
- (ङ) साक्षियों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना;
- (च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना; और
- (छ) अन्य कोई मामला, जो विहित किया जाए।
- (2) आयोग के पास, उसके समक्ष किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले 15 में जैसा वह उचित समझे वैसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी।
- (3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति को जिसे यह उचित समझे रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

आयोग के समक्ष कार्यवाहियां। 26. आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता, 20 1860 की धारा 193, 214 और 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझा 1860 का 45 जाएगा तथा आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और दंड 1974का 2 प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

10

15

20

25

30

27. आयोग या कोई राजपत्रित अधिकारी जिसे आयोग द्वारा विशेष रूप प्रवेश और से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, ऐसे किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर की शक्ति। सकेगा, जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि जांच के मामले के विषय से संबंधित दस्तावेज पाया जा सकता है ऐसे किसी दस्तावेज को वह अभिगृहित कर सकेगा या भारतीय दंड संहिता, 1860 के उपबन्धों के अध्यधीन उसकी प्रतियां निकाल सकेगा।

28. आयोग, अध्यक्ष, किसी सदस्य, सचिव, आयोग के किसी अधिकारी शिक्तयों का या किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन इसकी ऐसी शक्तियों और प्रत्यायोजन। कृत्यों को लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्ते, यदि कोई है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन धारा 24 के अधीन विवादों के न्याय—निर्णय की शक्तियों के सिवाय और धारा 43 के अधीन विनियम बनाने की शक्तियाँ जैसा वह आवश्यक समझे को, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

29. यदि आयोग का किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा समाधान आयोग के हो जाता है कि किसी उपयोगकर्ता ने इस अधिनियम या नियमों या विनियमों या अननुपालन के आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है या लिए शास्ति। आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन नहीं किया है, तो, आयोग ऐसे उपयोगकर्ता को मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लिखित में आदेश दे सकेगा, कि वह इस अधिनियम के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा और ऐसा उपयोगकर्ता शास्ति के रूप में ऐसी राशि का संदाय करेगा, जो दस लाख रुपये तक होगी और ऐसी शास्ति के संदाय में निरन्तर चूक की दशा में अतिरिक्त जुर्माना, ऐसे आदेश की तारीख से जो पांच हजार रूपये प्रतिदिन तक हो सकेगा।

30. (1) इस अधिनियम के अधीन न्याय—निर्णय के प्रयोजन के लिए न्याय निर्णयन आयोग, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन हेतु सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई की शिवत। का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपने किसी सदस्य को ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, कोई जांच करने हेतु न्याय—निर्णयन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) जांच करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के पास साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को बुलाने और हाज़िर करने की शक्ति होगी जो न्याय निर्णायक अधिकारी की राय में जांच के मामले में उपयोगी या सुसंगत हो सकेंगे तथा यदि ऐसी जांच में वह इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुपालन में असफल रहा है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित समझे।

5

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के तीस दिन के भीतर आयोग के समक्ष अपील कर सकेगाः

परन्तु आयोग सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, किसी पक्षकार के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं करेगाः

परन्तु यह और कि उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त सदस्य ऐसी अपील दायर करने से पूर्व आयोग की पीठ का भाग नहीं होगा ।

10

(4) आयोग द्वारा परित आदेश अंतिम होगा।

न्याय-निर्णायक **31**. धारा 29 के अधीन शास्ति की मात्रा अधिनिर्णीत करते समय अधिकारी द्वारा ह्यान में रखने योग्य कारक।

15

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप जहां कहीं मात्रात्मक हो वहां गैर—आनुपातिक प्राप्ति या अनुचित लाभ की राशि; और

(ख) व्यतिक्रम का पुनरावृति स्वभाव।

अन्य दायित्वों पर शास्ति प्रभावहीन।

32. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति प्रतिपूर्ति के संदाय के संबंध में कोई अल्पीकरण न हो कर किसी अन्य दायित्व के अतिरिक्त होंगे।

सरकार द्वारा अनुदान और ऋण। 33. सरकार, इस निमित्त राज्य विधान मंडल द्वारा सम्यक् रूप से किए गए विनियोग के पश्चात् आयोग को ऐसी राशि के अनुदान और ऋण प्रदान कर सकेगी जैसी सरकार आवश्क समझे।

20

सरकार द्वारा निधि की स्थापना। 34. (1) एक निधि की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर आयोग निधि होगा और इसमें निम्नलिखित राशियों को जमा किया जाएगा:-

25

(क) सरकार द्वारा आयोग को दिए गए कोई अनुदान और ऋष्ण;

- (ख) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त समस्त फीस ;
- (ग) ऐसे अन्य स्रोत जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां।
- (2) इस निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:--

10

15

- (क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्य के निर्वहन हेतु उपगत व्यय;
- (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय।
- (3) सरकार, उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए निधि के अनुप्रयोग की रीति विहित कर सकेगी।
- 35. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित आयोग के करेगा तथा लेखे के वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप तथा रीति में तैयार करेगा जैसी लेखे। विहित की जाए।
- (2) आयोग के वार्षिक लेखे तथा तुलन—पत्र सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और सरकार इसे प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।
- 36. (1) आयोग ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर जैसी विहित की जाए, आयोग की पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक रिपोर्ट विषेक रिपोर्ट। तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति इस की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।

आयोग का बजट। 37. आयोग अगले वित्त वर्ष के लिए अपना बजट ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर तैयार करेगा जैसा विहित किया जाए, जिसमें आयोग को अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाए जाएंगे तथा इसे सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

अध्याय-7 प्रकीर्ण

5

सरकार द्वारा निर्देश।

- 38. (1) अपने कृत्य के निर्वहन हेतु आयोग जनहित की नीति संबधी मामलों पर ऐसे दिशा—निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं।
- (2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या किसी दिशा—निर्देश में जनहित से संबंधित मामला है या नहीं तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

10

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। 39. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के विरुद्ध आयोग के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी या लोक सेवक पर कोई वाद, अभियोजन या कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाएगी।

15

सदस्य, अधिकारी इत्यादि का लोक सेवक

होना।

40. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, का जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसा तात्पर्यित कार्य करना भारतीय दंड संहिता, 1860 के अर्थांतर्गत लोक 1860 का 45 सेवक समझे जाएंगे।

41. इस अधिनियम के उपबंधों का राज्य में तत्समय प्रवृत किसी अन्य

अधिनयम के उपबंधों का विधि के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में हैं । अन्य विधियों के अतिरिक्त न कि उनके अल्पीकरण में होंगा।

20

होना।

की शक्ति।

42. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य-शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात केवल ऐसे उपांतरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा. या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्त नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकल प्रभाव नहीं पडेगा।

5

10

15

25

43. (1) आयोग सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिनियम के उपबन्धों आयोग की को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम और तद्धीन बनाए गए की शक्तियां। नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

- (2) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।
- (3) सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम इसके बनने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
- 44. (1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाइयों को कितनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में वूर करने की 20 प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

अध्यारोही प्रभाव। 45. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के असंगत होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

निरसन और व्यावृत्ति।

- 46. (1) हिमाचल प्रदेश जल—विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अध्यादेश, 2023 (2023 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्याक 2) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पांच प्रमुख निदयों सतलुज, व्यास, रावी, विनाव और यमुना के अत्यधिक जल संसाधनों से समृद्ध है। ये निदयां वर्ष भर अत्यधिक जल प्रवाह से सम्पन्न रहती हैं, जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, समुचित जल संरक्षण और जल प्रबंधन हेतु राज्य पर्यावरण और सामाजिक समाधात शमन पर अत्यधिक व्यय कर रहा है। जल—विद्युत परियोजना के परिक्षेत्र में विकासात्मक क्रियाकलाप संबद्ध लोगों की आजीविका में वृद्धि कर रहे हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं के कारण जल—विद्युत विकास पर विचारणीय क्षमता पर विचार नहीं किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य के पास बहुत सीमित राजस्व उत्पादन संसाधन हैं। मुख्य स्त्रोत प्रत्यक्ष कर, जल—विद्युत और पर्यटन क्षेत्र हैं। राज्य में निदयां और उनकी सहायक निदयों में बहता जल राजस्व उत्पादन का एक लाभप्रद स्त्रोत हो सकता है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र जैसे जम्मू और कश्मीर ने पहले ही जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिरोपित किया है। राज्य सरकार ने उसी के अनुरूप ऐसी नीति को लाने का विनिश्चय किया है तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु जल उपकर अधिरोपित करने का चयन भी किया है।

जल—विद्युत उत्पादन पर जल उपकर परियोजना में उपलब्ध जल और शीर्ष, जिसे जल संवाहक प्रणाली के प्रवेश और निकास के स्तर में अन्तर माना जाता है, जल के उपयोग के आधार पर अधिरोपित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 10,991 मैगावाट की स्थापित क्षमता वाली 172 जल विद्युत परियोजनाएं प्रवर्तित की गई हैं।

राजस्व के बहुत सीमित संसाधनों अर्थात प्रत्यक्ष कर, जल-विद्युत एवं पर्यटन क्षेत्र के दृष्टिगत राज्य में सदैव वित्तीय बाध्यताएं बनी रहती हैं। इसलिए, राज्य में वैकल्पिक राजस्व संसाधनों के माध्यम से राजस्व उत्पादन में सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। राज्य में गम्भीर वित्तीय बाध्यताओं की स्थिति से निपटने के आशय से, राज्य में संरक्षण, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए कोई नई विधि लाकर वैकल्पिक वित्तीय संसाधन सृजित करने हेतु उपबंध करने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और राज्य में वैकल्पिक राजस्व संसाधनों को सृजित करने के मामले में और अधिक विलम्ब नहीं किया जा सकता था, इसलिए मामले की अनिवार्यता और महत्ता को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 15 फरवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश जल—विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अध्यादेश, 2023 (2023 का अध्यादेश संख्यांक 2) प्रख्यापित किया

गया था, जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में उसी दिन को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को एक नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है। यह विधेयक कुछ उपान्तरणों सहित उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

जिल्हा अग्निहोत्री) उप मुख्य मन्त्री।

शिमलाः

तारीखः, 2023

आस्प्रिकाणि ज्या आग्रेत्स्य उप-मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश

वित्तीय ज्ञापन

यदि आयोग स्थापित हो जाता है तो प्रति वर्ष लगभग तेईस करोड़ रूपए का व्यय अन्तर्वलित होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 42 और 43 राज्य सरकार और आयोग को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए क्रमशः नियम और विनयम बनाने हेतु सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारशें

(नस्ति सख्याः जेएसवी-बी(ए)3-1/2022)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक, 2023 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुछेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश राज्य में जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर उद्गृहित करने हेतु विधेयक।

(मुकेश अग्निहोत्री) उप मुख्य मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)। उना स्था प्रभागित उप-मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश

शिमलाः तारीखः....., 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 5 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER GENERATION BILL, 2023

(As Introduced in the Legislative Assembly)

THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER GENERATION BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

CHAPTER-I PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement.
- 2. Definitions.

CHAPTER-II USAGE OF WATER BY INSTALLATION OF HYDROPOWER GENERATING UNIT

- 3. Installation of scheme for usage of water.
- 4. Submission of sanctioned scheme for usage of water by the user.
- 5. Acceptance of application.
- 6. Information to the user.
- 7. Registration for usage of water.
- 8. Grant of registration certificate.
- 9. Registered user not to do certain things.
- 10. Duties, obligations and responsibilities of the registered user.
- 11. Control and safety provisions.

CHAPTER-III ASSESSMENT OF WATER DRAWN BY USER

- 12. Assessment of water drawn by user.
- 13. Damaging the flow measuring device or any fitting.
- 14. Fraud in respect of flow measuring devices.

CHAPTER-IV WATER CESS

- 15. Fixation of water cess.
- 16. Recovery of water cess.
- Procedure for assessment.

CHAPTER-V STATE COMMISSION

- 18. Establishment of the Commission.
- 19. Qualifications for appointment of Chairperson and members of the Commission.
- 20. Constitution of a Search Committee.
- 21. Term of office and conditions of service.
- 22. Removal of Chairperson or member.
- 23. Officers and other employees of the Commission.

CHAPTER-VI POWERS, FUNCTIONS AND ACCOUNTS OF THE COMMISSION

- 24. Functions of the Commission.
- 25. Powers of the Commission.
- Proceedings before the Commission.
- 27. Power of entry and seizure.
- 28. Delegation of powers.
- 29. Penalty for non-compliance of directions of Commission.
- 30. Power to adjudicate.
- 31. Factors to be taken into account by adjudicating officer.
- 32. Penalty not to affect other liabilities.
- 33. Grants and loans by the Government.
- Establishment of fund by the Government.
- 35. Account of the Commission.
- 36. Annual report of the Commission.
- 37. Budget of the Commission.

CHAPTER-VII MISCELLANEOUS

- 38. Directions by the Government.
- 39. Protection of action taken in good faith.
- 40. Members, officers etc. to be public servants.
- 41. Provisions of the Act to be in addition to and not in derogation of other laws.
- 42. Power to make rules.
- 43. Powers of Commission to make regulations.
- 44. Power to remove difficulties.
- 45. Overriding effect.
- 46. Repeal and saving.

THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER GENERATION BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to levy water cess on hydropower generation in the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-1 PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Water Cess Short title and commencement.

- (2) It shall be deemed to have come into force on the 10^{th} day of March, 2023.
 - 2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

10 (a) "Commission" means the Himachal Pradesh State Commission for Water Cess on Hydropower Generation established under section 18 of this Act;

5

15

(b) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(c) "hydropower" means a renewable source of energy that generates power by using water drawn from any water source flowing within the territory of the State;

		2	
	(d)	"notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, and the term "notify" shall be construed accordingly;	
	(e)	"prescribed" means prescribed by rules made under this Act;	
	(f)	"section" means section of this Act;	
	(g)	"user" means any person, group of persons, local body, government department, company, corporation, society or anybody, by whichever name called drawing water from any source for generation of hydropower;	10
	(h)	"water" means natural resource flowing in any river, stream, tributary, canal, nallah or any other natural course of water or stipulated upon the surface of any land like, pond, lagoon, swamp or spring;	
	(i)	"water cess" means the rate levied or charged for water drawn for generation of hydropower and fixed under this Act; and	15
	(j)	"water source" means a river and its tributaries, stream, nallah, canal, spring, pond, lake, water course or any other source from which water is drawn to generate hydropower.	20
	USAGE OF WA	CHAPTER-II ATER BY INSTALLATION OF HYDROPOWER GENERATING UNIT	
Installation of scheme for usage of water.	3. (1) generation except i	No user shall draw water from any source for hydropower in accordance with this Act.	25
water.	consumptive use)	ser shall install a scheme requiring usage of water (non of any water source for generating hydropower except ered by the Commission in accordance with the provisions	30

Any user intending to install a scheme requiring usage of water Submission (non consumptive use) for the purpose of generation of hydropower shall sanctioned submit detailed project report of the scheme, duly sanctioned by the Director scheme for of Energy or Central Electricity Authority or any other authority as the case usage of may be accompanied with application fee for registration under the Act in the user. manner as may be prescribed.

5

15

20

- After receipt of the application from a user, the Commission Acceptance shall consider the acceptance of the application under this Act. application.
- After the application is accepted by the Commission under Information section 5, the Commission shall register the scheme and inform the user to,-10
 - execute an agreement in such a form and manner with the (a) Commission as may be prescribed; and
 - pay water cess as fixed under Chapter-IV of this Act.
 - No person shall install a scheme, requiring usage of water or in Registration any other way use the water, unless he is authorised to do so by a registration water. certificate, issued under section 8.
 - An user intending to use water (non consumptive use) for Grant of generation of hydropower shall be issued a registration certificate after the certificate. execution of an agreement between the user and the Commission under this Act.
 - No registered user shall without prior approval of Commission,- Registered 9. do certain
 - undertake any transaction to acquire by purchase or things. (a) takeover or otherwise, the utility of any other user; or
 - merge his utility with the utility of any other user; or
 - at any time assign his registration or transfer his utility or any part thereof by sale, lease, exchange or otherwise.

Duties, obligations and responsibilities of the registered

user.

- **10.** (1) The registered user shall be liable to pay water cess for the water drawn for hydropower generation as per the provisions of this Act.
- (2) Where any user has constructed a hydropower scheme, for the purpose of generation of hydropower, prior to the commencement of this Act, such user shall, within a period of one month from the date of commencement of this Act, apply for registration and the Commission shall pass an order to register the user within a period of one month from the date of receipt of application in accordance with the provisions of this Act.
- (3) If the user as mentioned in sub-section (2) fails to apply for registration within time stipulated therein, the Commission shall forthwith impose water cess without registration on the basis of data of water usage provided by the Directorate of Energy, Himachal Pradesh from the date of commencement of this Act alongwith suitable penalty which may extend to rupees ten lakh and in case of prolonged default with additional fine which may extend to rupees five thousand for every day.
- (4) Every registered user shall be under an obligation to ensure the safety of the life and property of inhabitants of the area by the operation of the scheme.
- (5) Every registered user shall be bound to allow the Commission or any other officer authorised by the Commission to have an access at any time to the scheme for their satisfaction with regard to compliance of the provisions of this Act.

Control and safety provisions.

11. The Commission may, by notice in writing given to the user require him to cause periodic inspection carried out by an expert, to the satisfaction of the Commission and in accordance with the procedure and at such intervals, as the Commission may specify, for the scheme.

CHAPTER-III ASSESSMENT OF WATER DRAWN BY USER

Assessment of water drawn by user. 12. (1) The Commission shall install or cause to be installed flow measuring device as per the specifications approved by the Commission within the premises of scheme or at such other place where the Commission deems

30

5

10

15

20

fit for measuring the water drawn for hydropower generation or may adopt any indirect method for assessment of water drawn by the user.

- (2) The expenditure incurred on such installation shall be payable by the user.
- 13. No person shall wilfully damage or cause to be damaged, any Damaging water measuring device or any of the fittings of the device. The user shall be the flow measuring responsible to replace the damaged device forthwith at his own cost failing device or which penalty of rupees fifty thousand shall be imposed on such user.

14. No person shall fraudulently or dishonestly,-

Fraud in respect of flow

any fitting.

- alter the index of any flow measuring device or prevent measuring any device from recording the actual quantity of water supplied; or
- extract or draw water before it has been recorded by the measuring device set up for the purpose of recording the same; or
- tamper the measuring device, install or use a tampered device; or
- use any other device or method which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of water supplied.

CHAPTER-IV WATER CESS

- 15. (1) The user shall be liable to pay the water cess at such rates Fixation of as the Government may, by notification fix in this behalf. water cess.
- (2) The State Government may review, increase, decrease or vary the rates of the water cess fixed under this section from time to time in the manner it deems fit.

10

5

15

20

Recovery of water cess.

16. The Commission shall recover water cess as per the rates fixed by the State Government from every user whenever water is drawn by a user for generation of hydropower.

Procedure for assessment.

17. (1) The assessment of water drawn by the user for hydropower generation and computation of water cess thereof, shall be carried out by the Commission.

5

- (2) The user shall pay the water cess as assessed under sub-section (1) within such time as may be specified by the Commission.
- (3) If any user fails to pay water cess due on him, penalty shall be imposed on the user as determined by the Commission. The user has to pay water cess along with penalty within extended time as may be prescribed.

10

CHAPTER-V

STATE COMMISSION

Establishment

18. (1) The Government may, by notification, establish Commission Commission to be known as the State Commission for water cess on hydropower generation to exercise the powers and to discharge the functions under this Act:

15

Provided that till the Commission is established under this section, the Secretary (Jal Shakti Vibhag) to the Government of Himachal Pradesh may exercise the powers and discharge the functions of the Commission.

20

(2) The Commission established under sub-section (1) shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and may, by the said name, sue or be sued.

- The head office of the Commission shall be at Shimla.
- (4) The Commission shall consist of a Chairperson and not more than four members.

- (5) The Chairperson and members of the Commission shall be appointed by the State Government on the recommendations of a Search Committee referred to in sub-section (1) of section 20.
- 19. (1) The Chairperson shall be appointed from amongst persons Qualifications who are either holding or have held a post not below the rank of the Secretary to the State Government.

S Qualifications
for
appointment
of
Chairperson
and members
of the
Commission.

(2) The members of the Commission shall be persons of ability, of the integrity and standing who have relevant experience of fifteen years and above in the field of engineering, finance, commerce, economics, law or management:

Provided that at least one member shall be from amongst the persons who are either holding or have held a post not below the rank of Chief Engineer or equivalent and having qualification and experience in the field of Hydropower Engineering.

- (3) The Chairperson or any member of the Commission shall not hold any other office of the profit.
 - (4) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Commission.
 - (5) The Commission shall have appropriate structure underneath for support as may be prescribed by the Government.
- 20. (1) The Government shall, for the purposes of selecting the Constitution Chairperson and members of the Commission, constitute a Search Committee of Search Committee.

(a) Chief Secretary

Chairperson;

(b) Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh

Member:

(c) Secretary (MPP and Power) to the Government of Himachal Pradesh

Member;

25

5

10

8 (d) Secretary (Jal Shakti) to the Government of Himachal Pradesh Member; and Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh Member. (2) The Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or member and six month before the superannuation or end of the tenure of the Chairperson or a member, make a reference to the Search Committee for filling up of the vacancy. (3) The Search Committee shall finalize the selection of Chairperson 10 or the members within two months from the date on which the reference is (4) Before recommending any person for appointment as Chairperson or member, the Search Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect 15 prejudicially his function as such Chairperson or member. 21. (1) The Chairperson and other members shall hold office for a term of three years from the date on which they enters upon their office: Provided that no Chairperson or member shall hold office after attaining the age of sixty five years. 20 (2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and the members shall be such as may be prescribed: Provided that the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and the members shall not be varied to their disadvantage after their appointment. 25

made to it.

Term of

office and

conditions of service.

5

(3) The Chairperson and members shall, before entering upon their office, make and subscribe to an oath of office and secrecy in such form and manner and before such authority as may be prescribed.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chairperson or a member may relinquish his office by giving in writing to the Government a notice of not less than three months.
- (5) The Chairperson or any member ceasing to hold office as such shall,-

5

10

15

20

- (a) not be eligible for further appointment under the Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office; and
- (b) not accept any commercial employment in the projects or scheme etc. relating to generation of hydropower.
- **22.** (1) The Chairperson or the member shall cease to hold his Removal of Chairperson or member,
 - (a) has been adjudged as insolvent by the competent Court;
 or
 - (b) has been convicted of an offence by the competent Court;
 or
 - has become physically or mentally incapable of acting as such; or
 - (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission.
- (2) Where a question arises as to if the Chairperson or the member has become physically or mentally incapable of acting as such or has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission, the decision in this regard shall be taken by the Government and shall be final.
- (3) The Government may suspend the Chairperson or any member of the Commission if in the opinion of the Government there are just and sufficient reasons to suspend the Chairperson and the member and the proceedings for his removal have been initiated.

Provided that no such order shall be passed without offering an opportunity of being heard against whom such order is proposed to be passed.

Officers and other employees of the Commission.

23. (1) The Commission shall have a Secretary to exercise such powers and perform such duties under the control of the Chairperson, as may be prescribed.

(2) The Secretary shall be appointed by the Government.

- (3) The number, nature and categories of other officers and employees required to assist the Commission, to discharge its functions, shall be such as may be prescribed.
- (4) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of the service of the Secretary, officers and other employees shall be such as may be prescribed.
- (5) The Commission may engage the engineers and other staff of State Government to assess the water drawn by users and other technical activities to assist the Commission to discharge its functions on such terms and conditions as may be prescribed.

CHAPTER-VI POWERS, FUNCTIONS AND ACCOUNTS OF THE COMMISSION

24. The Commission shall discharge the following functions, Functions of Commission, namely:-

- enforce the decisions and orders issued under the Act; (a)
- adjudicate upon the disputes regarding water cess;
- ensure transparency while exercising the powers and discharging its functions;
- establish a system of enforcement, monitoring and 25 measurement of water drawn for hydropower generation;
- such other functions as may be prescribed.

5

10

15

25. (1) The Commission for the purpose of making an inquiry or Powers of initiating any proceedings under this Act, shall have the same powers as are Commission. vested in a Civil Court, under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect 5 of 1908 of the following matters, namely:-5 summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath: discovery and production of any document or other material object capable of being produced as evidence; receiving of evidence on affidavits; 10 (d) requisition of any public record; issuing commission for examination of witnesses; (e) reviewing its decisions, directions and orders; and (f) any other matter which may be prescribed. (g) (2) The Commission shall have the powers to pass such interim 15 order in any proceeding, hearing or matter before it, as it may consider appropriate. (3) The Commission may authorize any person, as it may deem fit, to represent the interest of the registered users in the proceedings before it. 26. All proceedings before the Commission shall deemed to be Proceedings judicial proceedings within the meaning of sections 193, 214 and 228 of the Commission. 20 45 of 1860 Indian Penal Code, 1860 and the Commission shall deem to be a Civil Court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of 2 of 1974 Criminal Procedure, 1973.

27. The Commission or any Gazetted Officer, specially authorized Power of in this behalf by the Commission, may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject

matter of the inquiry may be found, and may seize any such document or take extracts of copies therefrom subject to the provisions of the Indian Penal 45 of 1860 Code.

Delegation of powers.

28. The Commission may, by general or special order in writing, delegate to the Chairperson, any member, Secretary, officer of the Commission or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act, except the powers to adjudicate disputes under section 24 and the powers to make regulations under section 43 as it may deem necessary.

5

10

Penalty for non-

29. The Commission, on receiving a complaint or otherwise, is satisfied that any user has contravened any of the provisions of this Act or the of directions rules or regulations or any direction issued by the Commission it may after Commission. giving such user an opportunity of being heard, by order in writing, direct that, without prejudice to any other penalty to which he may be liable under the Act, such user shall pay, by way of penalty, such amount which may extend to rupees ten lakh and in case of continuous default with additional fine which may extend to rupees five thousand for each day form the date of such order.

15

Power to adjudicate.

For the purpose of adjudicating disputes under this Act, the Commission shall appoint any of its members to be an adjudicating officer for holding an inquiry in such manner as may be prescribed after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty.

20

(2) While holding an inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person has failed to comply with any provision of this Act, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of this Act.

25

30

(3) Any person aggrieved by an order under sub-section (2) may, within thirty days of the order, prefer an appeal before the Commission:

Provided that the Commission shall not pass any order against any party without affording an opportunity of being heard:

Provided further that the member so appointed under sub-section (1) above shall not be a part of Bench of Commission before such appeal is filed.

- (4) The order passed by the Commission shall be final.
- 31. While adjudicating the quantum of penalty under section 29, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:-
 - (a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default; and
 - (b) the repetitive nature of the default.

5

15

20

- 32. The penalties imposed under this Act shall be in addition to, Penality and not in derogation of, any other liability in respect of payment of affect other compensation.
 - 33. The Government may, after due appropriation made by State Grants and Legislature in this behalf, make to the Commission grants and loans of such Government. Sums of money as the Government may consider necessary.
 - **34.** (1) There shall be constituted a fund, to be called the Water Establishment Cess on Hydropowers Generation Commission Fund and the following sums shall be credited thereto,-
 - any grants or loans made to the Commission by the Government;
 - (b) all fees received by the Commission under this Act; and
 - (c) all sums received by the Commission from such other sources as may be notified upon by the Government.
 - (2) The fund shall be applied for meeting,-
 - (a) the salary, allowances and other remuneration of Chairperson, members, officers and other employees of the Commission;

	(b) the expenses Commission u	incurred to discharge the functions of the under this Act;	
	(c) the expenses of by this Act.	on objects and for the purposes authorised	
fund for meet section (2).	The Government maining the expenses sp	nay prescribe the manner of applying the pecified in clause (b) or clause (c) of sub-	5
Commission, relevant recor	1) The Commissions and prepare an ass may be prescribed	ion shall maintain proper accounts and other annual statement of accounts in such form d.	10
be forwarded	to the Government	and balance sheet of the Commission shall and the Government shall cause the same it is received, before the State Legislature.	
Annual report of the Commission. time as may be during the pre Government.	prescribed, an annu	ion shall prepare, in such form and by such ual report giving a summary of its activities ies of the report shall be forwarded to the	15
(2) A laid, as soon as	copy of the report s may be after it is re	t received under sub-section (1) shall be received, before the State Legislature.	
Commission, as may be pres	scribed, its budget ots and expenditure	all prepare, in such form and by such time, for the next financial year, showing the of the Commission and forward the same	20
		APTER-VII CLLANEOUS	25
Directions by 38. (1) he Government by such direction given by the Sta) To discharge its forms in the matters of pate Government.	functions, the Commission shall be guided policy involving public interest as may be	
to a matter of p	any question arises policy involving pu preon shall be final.	s as to whether any such direction relates ublic interest, the decision of the State	30

39. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any Protection of member, officer or other employee of the Commission or any public servant in good faith. for anything which is in good faith done or intending to be done under this Act or the rules or regulations framed thereunder.

5 40. The Chairperson, members, officers and other employees of Members, the Commission while acting or purporting to act in pursuance of any of the officers etc. provisions of this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning servants. of the Indian Penal Code, 1860.

41. The provisions of the Act are in addition to and not in derogation Provisions of 10 of any other law for the time being in force in the State.

the act to be in addition to and not in derogation of other laws.

The Government may, by notification, make rules for Power to carrying out the provisions of this Act.

rules.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while in section for a total period of not less than fourteen days which maybe comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly make any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case my be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

15

20

25

43. (1) The Commission may, with the prior approval of the Powers of Government, make regulations consistent with the Act and the rules made to make thereunder generally to carry out the provisions of this Act.

regulations.

- (2) All regulations made by the Commission under the Act shall be subject to the condition of previous publication.
- (3) Every regulation made by the Commission shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

44. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as, may appear to be necessary for removing the difficulties:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

5

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

Overriding effect.

45. The provisions of this Act shall have an effect notwithstanding anything inconsistant contained in any other State law for the time being in force.

10

Repeal and saving.

- **46.** (1) The Himachal Pradesh Water Cess Hydropower Generation Ordinance, 2023 (H.P. Ordinance No. 2 of 2023) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

17 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Himachal Pradesh has been blessed with the immense water resources of five major rivers Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Yamuna. These rivers are endowed with immense water flow throughout the year which is being used for generation of hydropower. Further, for proper water conservation and water management, the State is spending huge amount of money on environment and social impact mitigation. The developmental activities in the vicinity of hydropower projects are increasing livelihood of the concerned people. Considerable potential has not been considered on hydropower development on this account of environmental and social aspects.

The State of Himachal Pradesh has very limited revenue generation resources and there always remain financial constraints in the State. Hence, there is an urgent need to improve the revenue generation in the State through alternate revenue resources. Flowing water in various rivers and its tributaries in the State can be useful source of revenue generation. The neighbouring State Uttrakhand and the Union Territory Jammu & Kashmir have already imposed the water cess on hydropower generation. On the same analogy the State Government has decided to introduce such policy and also opt to impose the water cess to increase the revenue of the State.

The water cess on hydropower generation will be imposed based on consumption of water and head available in the project, which is considered difference in the level at entry and exit of water conductor system. At present 172 hydropower projects, with installed capacity of 10,991 MW, have been commissioned in the State. In order to deal with the situation of serious financial constraints in the State, it has been decided to make the provision to create additional financial resources by imposing water cess on hydropower generation.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the issue to create alternate revenue resources of the State could not be prolonged, hence, keeping in view of the urgency and importance of the matter, the Governor, Himachal Pradesh, by invoking powers under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Ordinance, 2023 (Ordinance No. 2 of 2023) on 15.02.2023 which was published in Rajpatra (e-Gazette) on the same day. Now, this Ordinance is required to be replaced by a regular enactment. This Bill seeks to replace the aforesaid ordinance with some modifications.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MUKESH AGNIHOTRI)

Deputy Chief Minister.

SHIMLA: THE MARCH, 2023 Meethenticated

Meduty Chief Minister

Himachal Pradesh

FINANCIAL MEMORANDUM

There shall be an expenditure of rupee twenty three crore per annum approximately if the Commission is established.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 42 and 43 of the Bill seek to empower the State Government and the Commission to make rules and regulations respectively, for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVEROR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONTITUTION OF INDIA

(File No. JSV-B(A)3-1/2022)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Water Cess on Hydropower Generation Bill, 2023, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH WATER CESS ON HYDROPOWER GENERATION BILL, 2023

A

BILL

to levy water cess on hydropower generation in the State of Himachal Pradesh.

Mukesh Agnihotri)
Deputy Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Secretary (Law).

SHIMLA:

THE ,2023

Authenticated Muser Agrination

Deputy Chief Minister Himachal Pradesh